न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या :–324/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :–2022/422

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
हनीफ पुत्र अब्दुल हफीज जाति खान मुसलमान निवासी अरावली वन विभाग के पास नागौर तहसील व जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 2. पटवारी हल्का नागौर तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति:–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :– 13.09.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2022 सरकार बनाम हनीफ में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निणय एकपक्षीय रूप से बिना सम्यक तामिल के पारित किया गया है, प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं रही अभी मौहल्ले में अन्य लोगों के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित होने की चर्चा होने पर अपीलार्थी ने भी तहसील कार्यालय में इस संबंध में पता करने पर प्रकरण चलने व निर्णय होने की जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 27.09.2022 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 28.09.2022 को तैयार होकर दिनांक 29.09.2022 को प्राप्त हुई। तब जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता से दिनांक 30.09.2022 को सम्पर्क किया जो अपील दिनांक 01.10.2022 को तैयार हुई दिनांक 01.10.2022 से 03.10.2022 तक अवकाश होने के कारण यह अपील दिनांक 04.10.2022 को पेश की गई है। जो जानकारी से अन्दर मयाद है, फिर भी हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का,नागौर द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार नागौर के समक्ष इस आशय की पेश की कि हनीफ पुत्र अब्दुल हनीफ जाति खान ने मौजा नागौर के ख.नं. 592/906 रकबा 1950 वर्गफीट किस्म गै. मु. अंगोर भूमि पर सम्वत् 2079 में कमरा व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार,नागौर के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया व अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जो नोटिस विधिवत रूप से तामिल नहीं हुआ व नोटिस पर घर पर हाजिर नहीं मिलने की रिपोर्ट आई, जिसे आबाद मकान पर चस्पा की रिपोर्ट मानकर दिनांक 10.08.2022 को अप्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बिना तामिल व बिना जबाब व सुनवाई का अवसर दिये व बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये व बिना पटवारी हल्का के बयान लिये व जिरह का अवसर दिये बिना तहसीलदार नागौर ने दिनांक 10.08.2022 को अपीलार्थी को अतिकमी घोषित करते हुए जुर्माना व बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को किसी प्रकार की साक्ष्य व सुनवायी का अवसर नहीं दिया व

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये व बिना समुचित सुनवायी का अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अपीलार्थी पर किसी भी प्रकार से सम्यक रूप से किसी भी प्रकार से तामिल नहीं हुई व न ही अपलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त ही हुआ। नोटिस पर आबाद मकान पर सम्मन चस्पा किया गया हो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है व न ही किसी मौतबिर के हस्ताक्षर है, जिसके समक्ष सम्मन चस्पा किया गया हो व न ही सम्मन चस्पा करने का कोई आदेश ही है। इस प्रकार अपीलार्थी की किसी भी प्रकार से तामिल नहीं हुई व बिना विधिवत तामिल के ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को किसी प्रकार की जबाब देही, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया व बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये व बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया है, जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है।

जिस मकान के संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण बनाया गया है वास्तव में उक्त मकान अपीलार्थी की सास चांदबीबी पत्नी श्री अ.फकीर के स्वामित्व का व कब्जासुदा है, जिसमें अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा व रहवास नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण बिल्कुल ही गलत रूप से बनाया गया है व गलत रूप से तामील मानी गई है। इसलिए भी निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी का रहवास शहर नागौर की आबादी के मध्य अरावली वन विभाग कार्यालय के पास बना हुआ है। मकान में बिजली कनेक्शन,पानी कनेक्शन लिये हुए है, जिस हेतु नगरपरिषद नागौर द्वारा आबादी भूमि होने के कारण एन.ओ.सी. जारी की गई व समय समय पर सरकारी सर्वे में पुराना निवास मानकर राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि पहचान के दस्तावेज जारी किये हुए है। जो जायगां नागौर की आबादी के मध्य स्थित है, किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है। उक्त मकान के चारो ओर आबादी स्थित है व सैकड़ों की संख्या में रहवासी मकान आस पास व चारों ओर बने हुए है। पुराने आवास व कब्जा को नियमन करने बाबत सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी कर रखे है व मकान पुराना बना हुआ है। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी का रहवासी मकान किसी भी प्रकार से खसरा नम्बर 592/906 में स्थित नही है व न ही अंगोर भूमि में है बल्कि आबादी भूमि में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिये इस सम्बन्ध में अतिक्रमण साबित करने हेतू पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान करवाये जाने व अतिक्रमण साबित करने हेतू मौका रिपोर्ट मय सीमांकन पेश करवायी जानी आवश्यक थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य से अतिक्रमण साबित किये ही गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है जो विधिसमत नही होने से अपास्त होने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.08.2022 को अपास्त करने का आदेश प्रदान करने एवं विकल्प में अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी को जबाबदेही, साक्ष्य व सुनवाई हेतु व राजस्व टीम से सम्पूर्ण भूमि का पूर्ण नाप चौप कर सीमांकन रिपोर्ट पेश करवाकर पटवारी हल्का के बयान लेकर व साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण तहसीलदार,नागौर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1980 पेज 483 एवं आर0आर0डी0 1980 एनयूसी 66 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर यह निवेदन किया कि पटवारी द्वारा बिना जॉच किये एक पक्षीय रिपोर्ट पेश की है,जो निरस्त योग्य हैं एवं तहसीलदार को आबादी भूमि के सम्बन्ध में दफा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही करने के अधिकार नहीं हैं।

राजपेरोकार ने अपनी बहस में यह कथन किया आराजी मुतनाजा गै0मु0 अंगोर की भूमि हैं तथा इस प्रकार की भूमि पर व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया हैं,जिसके विरूद्ध तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर बेदखली एवं जुर्माना के आदेश दिये हैं,जो सही दिये गये हैं। अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

राजपेरोकार ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज0राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की प्रति पेश कर अंगोर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों की पेश नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि पटवारी हल्का,नागौर द्वारा गैर सायल के विरूद्व मौजा नागौर के खसरा नम्बर 592/906 रकबा 1950 वर्गफीट किस्म भूमि गै0मु0 अंगोर भूमि पर जरिऐ कमरा व बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार,नागौर को पेश की हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2022 दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस दो बार जारी किये हैं तथा नोटिस पर चस्पानगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुवे दिनांक 10.08.2022 को निर्णय पारित किया हैं। अपीलांट का यह कहना कि उन्हें सुनवाई एवं सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं,पत्रावली के अवलोकन से यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट हैं कि अपीलांट को तहसीलदार,नागौर द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद खसरा नम्बर 592/906 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की भूमि अपीलांट के स्वामित्व की भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं एवं कार्यवाही के विरूद्व जानबुझकर भाग नहीं लिया हैं,जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता हैं कि गैर सायल द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर कमरा व बाड़ा बनाकर नाजायज अतिक्रमण किया गया हैं तथा जिसके विरूद्व तहसीलदार,नागौर द्वारा की गई यह कार्यवाही विधिवत हैं एवं तहसीलदार, नागौर के निर्णय दिनांक 10.08.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर